[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 44/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं जो सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तंभ (३) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधित करती है, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	174/1966-सीमाशुल्क, तारीख 24 सितंबर, 1966	उक्त अधिसूचना में, "उतने सीमाशुल्क से" शब्दों के स्थान पर, "उन पर उद्‌गृहीत संपूर्ण सीमाशुल्क से जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उस पर उद्‌गृहीत संपूर्ण एकीकृत कर" शब्द,कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।
2.	80/1970-सीमाशुल्क, तारीख 29 अगस्त, 1970	उक्त अधिसूचना में "और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।
3.	152/1994-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994	उक्त अधिसूचना में "और दूसरे वर्णित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।
4.	50/1996-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996	उक्त अधिसूचना में "और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।
5.	84/1997-सीमाशुल्क, तारीख 11 नवंबर, 1997	उक्त अधिसूचना में "उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।
6.	73/1999-सीमाशुल्क, तारीख	उक्त अधिसूचना में "और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ

	8 जून, 1999	अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।
7.	30/2004-सीमाशुल्क, तारीख 28 जनवरी, 2004	उक्त अधिसूचना में “और अतिरिक्त शुल्क” शब्दों का लोप किया जाएगा ।
8.	01/2011-सीमाशुल्क, तारीख 6 जनवरी, 2011	उक्त अधिसूचना में “और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क से” शब्दों, अंकों और कोष्ठक का लोप किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:-

1. मूल अधिसूचना सं. 174/1966-सीमाशुल्क, तारीख 24 सितंबर, 1966 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 1477(अ), तारीख 24 सितंबर, 1966 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 93/1970-सीमाशुल्क, तारीख 17 अक्तूबर, 1970 द्वारा किया गया था जो भारत के राजपत्र,असाधारण में सा.का.नि. 1792(अ), तारीख17 अक्तूबर, 1970 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
2. मूल अधिसूचना सं. 80/1970-सीमाशुल्क, तारीख 29 अगस्त, 1970 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 1246(अ), तारीख 29 अगस्त, 1970 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 21/2006-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा किया गया था जो भारत के राजपत्र,असाधारण में सा.का.नि. 122(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
3. मूल अधिसूचना सं. 152/1994-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 581(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 67/2004-सीमाशुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा किया गया था जो भारत के राजपत्र,असाधारण में सा.का.नि. 409(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
4. मूल अधिसूचना सं. 50/1996-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 302(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 18/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा किया गया था जो भारत के राजपत्र,असाधारण में सा.का.नि. 116(अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
5. मूल अधिसूचना सं. 84/1997-सीमाशुल्क, तारीख 11 नवंबर, 1997 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 645(अ), तारीख 11 नवंबर, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 22/2014-सीमाशुल्क, तारीख 11

जुलाई, 2014 द्वारा किया गया था जो भारत के राजपत्र,असाधारण में सा.का.नि. 469(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

6. मूल अधिसूचना सं. 73/1999-सीमाशुल्क, तारीख 8 जून, 1999 भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 411(अ), तारीख 8 जून, 1999 द्वारा प्रकाशित की गई ।
7. मूल अधिसूचना सं. 30/2004-सीमाशुल्क, तारीख 28 जनवरी, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 81(अ), तारीख 28 जनवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई ।
8. मूल अधिसूचना सं. 01/2011-सीमाशुल्क, तारीख 6 जनवरी, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 6(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 14/2014-सीमाशुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा किया गया था जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 461(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।